

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising out of answer given in the Rajya Sabha on 30th April, 1992 to Starred Question No. 61 regarding pension to journalists

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, मे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आधे घंटे की चर्चा बचावत आयोग के संबंध में मादलों पर शुरू करने के लिए मुझे आज्ञा दी।

अभी हमने परसों ही इस बात को अनुभव किया कि सारे देश के पत्रकारों ने एक नये वेतन बोर्ड की स्थापना को लेकर सारे समाचार पत्रों में हड़ताल की। देश को कोई समाचार पत्र कल नहीं मिल पाया। इन समाचार पत्र कर्मचारियों, संवाददाताओं और पत्रकारों ने यह कदम क्यों उठाया? आखिर पत्रकार भी इसी समाज में रहता है। उसे भी मूय वृद्धि का अभिशाप सहना पड़ता है, उसे भी अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ऐसे सब काम करने पड़ते हैं जो एक गृहस्थ को करने होते हैं और उसे उन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति निकलता है। आप के इस मंहगाई के जमाने में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वेतन बोर्ड की मांग करना या इन पत्रकारों के द्वारा इस बात की मांग उठाना न्यायोचित नहीं है?

1980 में बचावत आयोग बना था। 1975 में पालेकर अवार्ड बना और उसके पहले 1965 में सिधिया अवार्ड की स्थापना हुई थी। सिधिया ने अवार्ड दिया, पालेकर ने अवार्ड दिया और अब 1980 के बाद 1992, 12 वर्ष निकल गए हैं। उनके बतनमानों की श्रृंखला के बारे में विचार करना, समीक्षा करना और उनका निर्धारण

करना, इसके लिए अगर आज वे मांग करते हैं तो क्या वे जायज नहीं कही जा सकती, क्या ये न्यायोचित नहीं है। सरकार इस प्रकार से टालमटोल करके कितने वर्षों से इस प्रकार की मांग को टालती रही है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये पत्रकार बंधू जाएं? जो पहले बतनमान के लिए आयोग बनाया गया था बचावत आयोग, उसका क्या हुआ? उसकी जो सिफारिशें थीं, उसका जो अवार्ड था, जो वर्किंग जर्नेलिस्ट ऐक्ट के मुताबिक मंडेटरी था, उस अवार्ड की धज्जियां उड़ गयीं, उस अवार्ड की खिल्ली उड़ा दी गयी, उस अवार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिये गये और आज भी दो तिहाई से ज्यादा पत्र मालिकों ने उसको लागू नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी 1583 ऐसे पत्र हैं, ऐसे पत्र मालिक हैं जिन्होंने बचावत आयोग की रिपोर्ट को, बचावत आयोग के अवार्ड को एकदम नकार दिया है, अस्वीकार कर दिया है इस तरह से और उसको बिल्कुल लागू नहीं किया है। आखिर पत्रकार कब तक इंतजार करेगा? आखिर उसके प्रतीक्षा करने की, उसके धैर्य करने की कोई सीमा होती है।

मैंने गये सत्र में माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था। उसके बाद सत्रावसान के दिन 13 मई को मैंने वह बात सदन में इसी दिन रखी थी। मंत्री जी से मैंने कहा था, कृपा करके इन सारे मामलों में जो वेतन बोर्ड नया बनाना चाहिए, बचावत आयोग के जो अवार्ड दिये गये हैं उनको लागू करना चाहिए और यदि आप लागू नहीं करेंगे तो इन पत्रकार बंधुओं के सन में एक बड़ी उत्तेजना पैदा होगी। उनको बड़ा दुख होगा कि उनसे समाचार तो सब जानना चाहते हैं, उनसे समाचार तो सब सुनना चाहते हैं, उनसे अच्छी खबरें तो सब प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उस वर्ग के लोगों के लिए उनके जीवन यापन के लिए, उनको सुविधाएं मिलें, उनको पेंशन मिले, उनको अन्य सुविधाएं प्राप्त हों उन पर विचार करने को कभी भी तैयार नहीं होते। और जब यह विषय सामने आता है, तो केवल टालमटोल कर दिया जाता है, केवल उस पर बढ़काने वाली बातें की जाती हैं। उसके अंदर यह कहा जाता है कि मामले कोर्ट्स में

श्री रामदास अग्रवाल]

पड़े हैं, हम क्या करें। हमारे पास तो कोई और साधन नहीं है।

जब पालेकर अवार्ड बना था, तब भी लोग कोर्ट्स में गए थे, जब शिंदे अवार्ड बना था, तब भी कोर्ट्स में गये थे, बछावत आयोग के समय भी लोग कोर्ट में गये थे। तो आज अगर मामले कोर्ट में पड़े हैं, ऐसा कोई कारण आपके सामने नहीं है कि कोर्ट में मामले होने के बाद भी आप ऐसा आयोग स्थापित नहीं कर सकते, ऐसा वतन बोर्ड स्थापित नहीं कर सकते।

मेरी पहली मांग यह है—मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाचार जैसे जगत में किसी प्रकार की ऐसी और बातें नहीं होनी चाहिए, जो शांति से अपना काम कर रहे हैं, जो सब प्रकार से इस देश की प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए बल्कि आगे आकर हमारा दायित्व है, जनता का दायित्व है, जन नेताओं का दायित्व है, संसद का दायित्व है कि ऐसे लोगों के बारे में हम स्वयं चल कर विचार करें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आकर उनको समझाएँ और उनके जो कष्ट हैं, विवक्षित हैं और असुविधायें हैं, उनके बारे में हम समाधान ढूँढ़ें। लेकिन यह काम तो हमारी केन्द्र की सरकार नहीं कर पा रही है। जब भी बात होती है, उसको टालने का प्रयत्न करती है।

मैं कहना चाहता हूँ कि अब टालने का समय चला गया है। अब पत्रकारों ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है और आपको यह चेतावनी मिल गई है कि यदि आपने अब वेतन बोर्ड की स्थापना नहीं की, तो यह संघर्ष मैं कहना चाहूँगा—यह केवल पत्रकारों का संघर्ष नहीं रहेगा अब यह संघर्ष फिर बाकी के और लोगों का संघर्ष भी बन जाएगा और सरकार को सजबूर होना होगा अनेक संघर्षों के बाद भी आखिर वेतन बोर्ड को बनाना ही पड़ेगा।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिना संघर्ष के बातचीत के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके,

केवल कानून का सहारा न लेकर कानून की पैतरेबाजी का सहारा न लेकर, बारीकियों का सहारा न लेकर, बेकार टालमटोल न करे वेतन बोर्ड की स्थापना तुरंत की जानी चाहिए—यह मेरी पहली मांग है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह तुरंत उसकी घोषणा करे।

मेरा दूसरा बिंदू यह है कि बछावत आयोग ने कई प्रकार की सिफारिशों की हैं। बछावत आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में मैजिस्ट्रेट अवार्ड को प्रस्थापित करना यह सरकार का काम है। केन्द्र सरकार का भी है और राज्य सरकारों का भी है। केन्द्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए थी लेकिन केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की आइ लेकर इस मामले को को डल्टोरेज में धकेल दिया और यह कहकर छोड़ दिया कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। इसे लागू करने का काम हमारे बस का नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में पड़ा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन अब्ब बारों ने—यह वेतन अवार्ड जो आया था बचावत आयोग का, उसमें जिन लोगों ने अवार्ड को लागू किया था और जिन्होंने नहीं किया, उनकी अगर आप बेलेंस - शोट देखेंगे अगर आप उनके नफे और नुकसान पर विचार करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यह बात जो समाचार पत्र मालिक कह रहे हैं कि वह इस स्थिति में नहीं है कि जो बछावत आयोग की सिफारिशें हैं या अवार्ड है, उसको लागू करके पत्र चला सकें, यह बिल्कुल गलत है। जिन पत्र मालिकों ने—हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि ने बछावत आयोग के अवार्ड को स्वीकार करके अपने यहाँ पर लागू किया है, मैं आपकी जानकारी के लिए तथ्य देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने जिसने बछावत आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, उसका प्रॉफिट 1987-88 में 14.53 करोड़ रुपये था और यह बढ़ कर 1990-91 से 28.25 करोड़ रुपये हो गया। यह प्रॉफिट उनका बछावत आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद भी हुआ, यह मेरा निवेदन है।

लेकिन स्टेट्समैन ग्रुप और बाकी के ग्रुप्स ने, जिन्होंने कहा कि हम बछावत आयोग

को रिपोर्टें लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे ऊपर बड़ा बोझ पड़ जाएगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टेट्समन ग्रुप ने, जिनका पहला प्राफिट 4.72 करोड़ था वह बढ़ कर के 10.01 करोड़ हो गया। उसी प्रकार से अन्य अखबारों से भी जो तथ्य आये हैं, जो जानकारी इनकी एसोसिएशन ने सरकार को दी है। वह सारे तथ्य आपके पास रेकार्ड में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्राफिट में चल रहे हैं, जो मुनाफा कमा रहे हैं उन पत्रों में तो सरकार को जरूर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे तुरन्त इस बछावत आयोग के अवार्ड को लागू कर सकें। उन्हें टालमटोल करने का अवसर सरकार को नहीं देना चाहिए।

तीसरा मेरा बिन्दु उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा गंभीर है। मेरा यह आक्षेप है कि हमारी पी.टी.आई., यू.एन.आई., भाषा इत्यादि जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके अंदर एक प्रकार का भेदभाव हो रहा है। इसकी चर्चा भी कई बार मैंने की थी और इसी सदन में की थी। मंत्री जी के मैं यह बात लाई थी। मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने 3 महीने बाद क्या इस बात की जानकारी हासिल की है कि हिन्दी के जो पत्रकार हैं, जो समान रूप से वही काम करते हैं जो अंग्रेजी के पत्रकार करते हैं, वही दायित्व निर्वहण करते हैं जो अंग्रेजी के पत्रकार करते हैं, अंग्रेजी का संवाददाता करता है, पी.टी.आई. और यू.एन.आई. में उन लोगों को वहाँ पर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट्स का दर्जा इंगलिश जानने वाले को दिया गया। जबकि हिन्दी का जो पत्रकार है वही काम करता है, उसी प्रकार का काम करता है। समान काम करता है, लेकिन उसको मैं बड़े दुख के साथ यह बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख होता है, कि स्वतन्त्र भारत में हिन्दी के पत्रकार के साथ इस प्रकार का, छोटा और भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है कि उसे वेतन कम दिया जाता है। उसकी वेतन श्रृंखला को एक नीचे रखा गया है। अगर वह स्पेशल कोरेस्पोंडेंट है, तो उसकी तनखाह ज्यादा है। काम वही करता है।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन्तप्पा):
जवाब सुनिए। मंत्री जी का जवाब

भी सुनिए।

श्री रामबास अग्रवाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न और लूंगा। कृपा करके केवल एक मिनट और दीजिए। इसमें राष्ट्रभाषा का सवाल है। हमारी स्वतंत्रता का सवाल है। आखिर हमारी सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि सरकारी एजेंसियाँ इस प्रकार के दो पद रख कर हिन्दी वाले को नीचे, अंग्रेजी वाले को ऊपर रखती हैं। हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी वाले को आप अच्छा प्रमोशन न दें, लेकिन हिन्दी वाले के साथ किसी प्रकार का पक्षपात होना यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। यह देश की राष्ट्रभाषा के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ, मैंने अपनी तीन मांगें आपके सामने रखी हैं। पहला नया वेतन आयोग गठित किया जाए? दूसरा मैंने कहा है बछावत आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए? तीसरा मेरा बिंदु था कि इस प्रकार के जो भेदभाव किए जा रहे हैं सरकारी एजेंसीज द्वारा उनको तुरन्त खत्म किया जाए और उनको समान स्तर पर लाया जाए। हिन्दीभाषी पत्रकारों को भी अंग्रेजी भाषी पत्रकारों की भांति एक स्पेशल कोरेस्पोंडेंट्स का दर्जा दिया जाए। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री छोट्टभाई पटेल (गुजरात) :
पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बछावत आयोग की सिफारिशों पर अमल कराइये। (व्यवधान) फिर यहां आकर बताइये (व्यवधान) आप पहले (व्यवधान)

श्री रामबास अग्रवाल : दिल्ली में लागू किया जाए, यहां आपकी सरकार है (व्यवधान) क्या आपने लागू किया है जहां आपकी सरकार है? (व्यवधान) आपकी सरकार ने लागू किया है (व्यवधान) आन्ध्र में लागू नहीं किया है? (व्यवधान)

श्री छोट्टभाई पटेल : पहले राजस्थान में पूरा कराइये। (व्यवधान) बछावत

[श्री छोटु भाई पटेल]

कमीशन की सिफारिशों पर अमल कर रहे हैं, पहले अपने राज्य में कराइये (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Patel, don't you want a reply from the Minister? You don't know the procedure of the half-an-hour discussion. The Member who initiates poses the questions and the Minister will answer. Then all those who have taken permission from the Chairman, in advance, will ask further questions, if any. Please go through the rules. Let us not change the procedure.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): I can reply later. They may ask questions now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Let us not change the procedure, otherwise it will again become a discussion. After your reply, if anything remains, Members may ask pointed questions.

SHRI P. A. SANGMA: I had the occasion to mention on the floor of this august House that there are four issues pending before the Government as far as the working journalists are concerned. First is the implementation of the Bachhawat Award. At the last occasion, I had informed this august House that there are large numbers of establishments which have not implemented this Award. The responsibility of implementing this Award lies with the respective State Governments. The Deputy Minister of Labour had addressed a letter to the State Governments, requesting them to set up a tripartite committee to monitor the implementation of the Award. If they thought that a tripartite committee was not required they were requested to set up a monitoring cell, in the Ministry of Labour in order to monitor the implementation of the Bachhawat Award. Sir, I am happy to inform the House that

the State Governments have responded to our request. The States of Madhya Pradesh, Kerala, Bihar, Andhra Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, West Bengal and Orissa have constituted a tripartite committee, and the States of Rajasthan, Maharashtra Punjab and the Union Territory of Delhi have constituted a monitoring cell.

The second question is in regard to the august House, in regard to the number of newspaper establishments which have fully implemented the Bachhawat Award, was 574. Now, as a result of the steps taken by the Labour Ministry here, as well as the respective State Governments, the number of establishments that have fully implemented the Bachhawat Award has gone up to 600. This means, there is an addition of 26 more establishments. I can assure this House again that we are pursuing this matter and we are trying to impress upon the State Governments to ensure that the Award is implemented. This is one thing.

The second question is in regard to the constitution of a new wage board. There was a time when we did take the position on the floor of this very House that Government was not contemplating the setting up of a new wage board. But after that, a number of representations have come from the journalists' associations. Yesterday we were starved of newspapers because of the strike day-before-yesterday. Things have changed. Yesterday, I made a statement on the floor of the Lok Sabha that the Government had an open mind in regard to the constitution of a new wage board. I had also assured the Lok Sabha that I would convene a meeting of the journalists' associations as well as the industry. Accordingly, Sir, a meeting with the association of working journalists is being convened on the 24th of this month. I have also convened a meeting with the industry, the newspaper employers on the 25th of this month. After we discuss the matter with the journalists' association on the 24th of this month and with the newspaper industry on the 25th of this month, the

Government would decide in regard to the constitution of a new wage board. I am not able to say that Government would do it. It will all depend on the consultations we are going to have with both sides. As I said, we have an open mind. I am not personally averse to the constitution of a new wage board. Therefore, we will settle the matter after we talk to both the employees and the employers. This is the second thing.

The third thing is regarding medical allowance, matters pertaining to their safety at work, LTC, etc. The Government have set up an expert committee...

SHRI RAMDAS AGARWAL: What about pension?

SHRI P. A. SANGMA: I am coming to that. Don't worry. I know the problem fully. You need not worry about that. This matter was referred to an expert committee. The expert committee had given its report. It was referred to an empowered committee headed by the Additional Secretary, Labour. The last meeting of this committee had taken place on the 20th of last month, i.e. July. They are finalising the report. I am assured by this committee that they would be able to give the report within fifteen days. Therefore the third issue is also moving.

The fourth one is pension. As I have mentioned, a pension scheme has been chalked out. The Board of Trustees of the Central Provident Fund Organisation has drawn up a pension scheme. This pension scheme, proposed by the Board of Trustees of the Central Provident Fund Organisation, was discussed with the representatives of trade unions, with the representatives of working journalists' associations, on the 29th of May this year. In the meeting the representatives were more or less agreeable to the proposal. So, they told me, "You can go ahead with that." But I told them, "No. Don't take a decision so quickly. You take ten days' time. Here is a copy of the proposal. You go back. Have a thorough study. If you want any modi-

fication to be made, any suggestions you want to make, kindly give them within ten days' time." We have not received any proposal for modification or change or anything else. In the mean time, the Association had a very thorough discussion with the Provident Fund Commission, and I am glad to inform this House that the Journalist Association has accepted the proposal of the Central Board of Trustees of the Provident Fund Organisation, and it has now given this proposal to the Government. The Government is examining this proposal.

Therefore, all the four matters which relate to working journalists, are very much on the move at different stages. I assure you that, like the hon. Member, we are all concerned about the welfare, safety and other benefits that working journalists should get.

Thank you, Sir.

श्री रामदास अग्रवाल : महोदय, मैंने एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। यू०एन०आई०, पी०टी०आई० और भाषा में जो हिन्दी पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है, उसके बारे में कृपा करके मंत्री जी बताएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please. I think, most of the points have been clarified.

SHRI RAMDAS AGARWAL: No, Sir. That is the last point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please wait, man. You have mentioned it. Please. He has got another chance to reply. He will take note of it.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Okay. It does not matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): So, if any pointed questions have been left out in the reply of the Minister, those questions may be asked.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर जी, मैं सिर्फ यह बात जानना चाहता हूँ कि जो एजेंसीज के स्पेशल कार्सपोण्डेंट्स हैं और जो हिन्दी भाषा, दूसरी एजेंसीज के जो कार्सपोण्डेंट्स हैं, उनको सीनियर कार्सपोण्डेंट्स कहा जाता है। तो यह जो दोनों के वतन में और बेजस में जो फर्क किया जाता है उसको दूर करने के लिए कोई सरकार ने अपना विचार बनाया है ?

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I have only two pointed questions. I will not take much time.

Sir, the hon. Minister has mentioned that about 600 odd newspaper establishments had implemented the Bachawat Award, but the position is not clear about how many newspaper establishments are yet to implement the Award and how many of them have gone to the court. If he gives these figures, then, the picture will come to us about how many establishments are still to implement it.

His reply about setting up of a new wage board is quite vague. The position is very clear that a number of newspaper establishments have gone to the Supreme Court to nullify it. A number of establishments have already implemented it. He says that he has convened a meeting of the journaist Association as well as the newspaper establishment owners. If the owners who have already gone to the Court, oppose it—and it is quite possible that those who have gone to the Court, will oppose it and that some of those who have already implemented it, may also do so—what is the Government's Mind? He says that he has an open mind. "Open mind" means nothing in practice when some opposition is there. So, I want to know whether the Government has decided that despite possible opposition by some owners the Government would go ahead with the decision to set up a wage board because the day before yesterday, you know, newspaper journalists went on strike. No democratic society can function without a free Press, and no free Press can function without journalists who have satisfactory

working conditions. They are fighting for improvement in their working conditions. For that the Government has got definite responsibility. So, the Government should take a decision on setting up a wage board. If they depend on a green signal from the owners, then, the question will be very difficult. I would like to know from the hon. Minister his mind about it.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ लीज अफजल (उत्तर प्रदेश) : सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री जी को याद होगा कि पहले भी इस सिलसिले में मैंने उनसे एक बार पूछा था और आज फिर जानना चाहता हूँ। क्योंकि रामदास अग्रवाल जी ने जो बात कही है, उससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता है और सभी लोग चाहते कि जनलिस्टों का भला होना चाहिए और जो उनकी वक्तिग कंडीशंस हैं, वह बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन सर, अखबारात को जो कैटेगरी हैं वह तीन तरह की होती हैं। स्माल मीडियम और बिग। इसके साथ ही तीन तरह से अखबारात पूरे मुल्क में निकलते हैं। एक अंग्रेजी जुबान में निकलते हैं दूसरे हिन्दी में निकलते और तीसरे, रीजनल लैंग्वेजिज में निकलते हैं। मैं दूसरी तबोय्जह यह दिलाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि क्या उनकी मिनिस्ट्री इस पहलू पर भी गौर कर रही है, जैसे अभी अग्रवाल साहब ने स्टेट्समैन का और हिन्दुस्तान टाइम्स का हवाला दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्टेट्समैन मीडियम में आता है और हिन्दुस्तान टाइम्स बिग न्यूज पेपर है। इनका प्रोफिट बहुत अच्छा है। इनको तो लागू करना ही चाहिए। लेकिन सर, मैं यह बताना चाहता हूँ और आपकी इजाजत से मैं छोटी सी एक कुटेशन देना चाहता हूँ, जिससे मैं साबित करूँगा कि प्रोब्लम क्या है ?

1990-91 के अन्दर हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो मुखतलिफ डिपार्टमेंट हैं, वह डी०ए०वी०पी० के जरिए अपने इश्ताहार अखबारों में छपवाते हैं। डी०ए० पी०वी० ने इस साल के अन्दर अखबारों

को जो अंग्रेजी का इश्तहार दिये हैं वह 5 करोड़ 82 लाख रुपए के हैं और हिन्दी के सवा चार करोड़ रुपए के हैं। उसके बाद दूसरी 15 जुबानों को जो इश्तहार दिए, जिन्हें रोजनल लैंग्वेजिज कहते हैं, उनको कुल मिलाकर के हिन्दी के बराबर यानी सवा चार करोड़ रुपए के ही इश्तहार दिये गये। अब सवाल यह पैदा होता है कि रोजनल लैंग्वेजिज के जो अखबारात हैं, यदि आप इसकी तफसील में जायेंगे जैसा उन्होंने बताया कि 600 अखबारों ने लागू किया है, बहुत सारे अखबारों ने लागू नहीं किया, तो यह आपको जानकारी मिलेगी कि ज्यादातर छोटे अखबारात और रोजनल लैंग्वेजिज के जो अखबारात हैं वह बड़ावत कमीशन को जो सिफारशात हैं और जो बोर्ड बना था, वह उसको लागू नहीं कर पाए। तो आज भी मे पूरी हिमायत के साथ कहता हूँ कि यह होना चाहिए। जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं—करल, सिविल एविएशन और हेल्थ है, मेरे पास डीक्यूमेंट्स हैं, मेने सब जमा किए हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि तमाम मिनिस्ट्रीज का जो अपना जो वेन बजट है, वह सब अंग्रेजी अखबारों को दे देते हैं। रोजनल लैंग्वेजिज को रेवेन्यू हो नहीं मिलता और हिन्दी को भी इस तरह नजरअन्दाज किया जाता है, जो उन्होंने बताया। उसी का नतीजा आगे जाकर यह पड़ता है, अंग्रेजी का जनलिस्ट पैसे भी ज्यादा लेता है, हिन्दी का जो जनलिस्ट है उसको पैसे भी कम मिलते तथा जो रोजनल लैंग्वेजिज का काम करने वाला जनलिस्ट है, वह तो इतनी बुरी हालत में रहते हैं, सर मैं आपको क्या बताऊँ कि छोटे शहरों के अंदर जो जनलिस्टों की हालत है वह देखकर हमको अहसास होता है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी हालत कितनी खराब होती है।

तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाह्वा हूँ कि जहाँ आप हमारे रास्ते बताये, मैं उसको बेल्कम करता हूँ, आपने जो चीजें बताई हैं, बहुत ही अच्छी हैं और मुझको लगता है कि आपको इसमें बड़ी हमदर्दी है

और आपको पूरी हमदर्दी होनी चाहिए। तो क्या आपकी विजारात, क्या आपकी मिनिस्ट्री और दूसरे तमाम जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की विजारातें, उनसे क्वेस्ट करोगे कि रोजनल लैंग्वेजिज की और छोटे अखबारात को या मीडियम अखबारात को रेवेन्यू बढ़ायें, क्योंकि अंग्रेजी की तो दूसरी विजारात से बहुत रुपया और बहुत पैसा मिल जाता है, करोड़ों का प्रोफिट आता है और ऐसे में आपको सैंकड़ों अखबारात दिखा सकता हूँ जो घाटे में चल रहे हैं। वे बेचारे कैसे बड़ावत कमीशन को लागू कर सकते हैं? वह बेचारे खुद नहीं कहते कि हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। शुक्रिया।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل "اتر پردیش":
سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ منتر ی جی کو یاد ہو گا کہ پہلے بھی اس سلسلہ میں میں نے ایک بار پوچھا تھا اور آج پھر جانا چاہتا ہوں کہ
رام داس اگر وال جی نے جو بات کہی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ جرنلسٹوں کا بھلا ہونا چاہیے اور جو ان کی درکنگ کنٹریکشنس ہیں۔

وہ بھی بہت اچھی نہیں۔ لیکن سر اخبارات کی جو کنٹریکشن ہے وہ تین طرح کی ہوئی ہے۔ اسمال۔ میڈیم۔ اور بگ۔ اس کے ساتھ ہی تین طرح کے اخبارات پورے ملک میں نکلتے ہیں۔ ایک انگریزی زبان میں نکلتے ہیں۔ دوسری ہندی میں نکلتے ہیں۔ اور تیسرے ریجنل

لینگویجز میں نکلتے ہیں۔ میں دوسری تو یہ دلاتا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ

سے کر کیا انکی منسٹر جی اس پہلو پر بھی غور کر رہی ہے۔ جیسے ابھی اگر وال صاحب نے اسٹیٹمنٹس کا اور ہندوستان ٹائٹس کا سوال دیا۔ جہاں تک میری جانکاری ہے۔ اسٹیٹمنٹس میڈیا میں آتا ہے اور ہندوستان ٹائٹس بگ نیوز بیمر ہے۔ ان کا پرافٹ بہت اچھا ہے۔ ان کو تو لاگو کرنا چاہیے۔ لیکن سر۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی اجازت سے میں چھوٹی سی ایک کوشش دینا چاہتا ہوں جس سے میں ثابت کروں گا کہ براہم کیا ہے۔

۶۱۔ ۱۹۹۰ کے اندر ہمارے یہاں گورنمنٹ کے جو مختلف ڈیپارٹمنٹ ہیں۔ وہ ڈی۔ اے۔ ڈی۔ پی۔ کے ذریعے اپنے اشتہار اخباروں میں پھیلواتے ہیں۔ ڈی۔ اے۔ ڈی۔ پی۔ نے اس سال کے اندر اخباروں کو جو انگریزی کے اشتہار دیے ہیں وہ پانچ کروڑ سیالی لاکھ روپیے کے ہیں۔ اور ہندی کے سوا چار کروڑ روپیے کے ہیں۔ اس کے بعد دوسری پندرہ زبانوں کو جو اشتہار دیے ہیں۔ جنہیں ریجنل لینگویج کہتے ہیں۔ انکو کل ملا کر کے ہندی کے برابر یعنی سوا چار کروڑ روپیے کے ہی اشتہارات دیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریجنل لینگویج کے جو اخبارات ہیں۔ یہ آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ جیسا انہوں نے بتایا کہ ۶۰۰ اخباروں کو لاگو

کیا ہے۔ بہت سارے اخباروں کو لاگو نہیں کیا۔ تو یہ آپ کو جانکاری ملے گی کہ زیادہ چھوٹے اخبارات اور ریجنل لینگویج کے جو اخبارات ہیں وہ پچھاوت کمیشن کی جو سفارشات ہیں اور جو رینج بورڈ بنا تھا۔ وہ اسکو لاگو نہیں کر پائے۔ تو آج بھی میں پوری حمایت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ چارے یہاں بہت ساری منسٹریز ہیں۔ رورل سول ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ میں۔ میرے پاس ڈاکو مینٹس ہیں۔ میں نے سب جمع کئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ تمام منسٹریز کا اپنا جو بجٹ ہے وہ سب انگریزی کو دیتے ہیں۔ ریجنل لینگویج کو ریونیو نہیں ملتا اور ہندی کو بھی اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جو انہوں نے بتایا۔ اسی کا نتیجہ آگے جا کر یہ پڑتا ہے۔ انگریزی کا جرنلٹ پیسے بھی زیادہ لیتا ہے۔ ہندی کا جو جرنلٹ ہے اسکو پیسے بھی کم ملتے ہیں تھا جو ریجنل لینگویج کے کام کرنے والے جرنلٹ ہیں۔ وہ تو اتنی بری حالت میں رہتے ہیں۔ سر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ چھوٹے شہروں کے اندر جو جرنلٹوں کی حالت ہے وہ دیکھ کر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور انکی حالت کتنی خراب ہوتی ہے۔

تو میں منتر جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ

जहाँ आप दूसरे रास्ते बताते हैं। आपको
 दिलकश करता हूँ आपने जो चीजें बताई हैं।
 बहुत ही अच्छी हैं और मुझे लगता है कि आपको
 इसमें बड़ी मदद दी है। और आपको जो
 मदद दी होगी चाहे- तो किया आपकी सरकार
 किया आपकी मंत्री और दूसरे मामलों को गुरु
 ऑफ़ इंडिया की सरकार में उनसे रोकिए
 करेगी कि रजिस्टरिंग को और चूकें

को या मिडिल खबरों को रोकिए चूकें।
 गिओ नक़्क़े अंग्रेज़ी को तो दूसरी सरकार से
 बहुत रोकिए और बिना मल जाना है। कर्नाट
 का ब्राफ़ आता है। और ऐसे में आपको सिक्कों
 खबरों देखा सकता हूँ जो गूगल में
 चल रहे हैं। वे बिचारे किसे बचाव किशन
 को लोकर सकते हैं। वे बिचारे खुद किने
 हैं कि बहाल बिसे ब्रह्मा बिजे। शक़र

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) :
 माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सन् 1985
 में बछावत वज बोर्ड का गठन हुआ।
 इसने अपनी रिपोर्ट 30 मई, 1989 को
 दी। उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ और
 जो वज बोर्ड रिपोर्ट थी उसमें जितना
 पेन्शन और डी०ए० देने की बात थी
 उसमें और संशोधन व बढ़ोतरी करके
 राजीव जी ने करके दोबारा नोटिफिकेशन
 22-1-90 को दिया, जिसके आधार पर
 हाउस रेंट एलाउंस और सिटी कम्पन्ड्री
 एलाउंस और ज्यादा देने की बात थी।
 जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस
 वज बोर्ड के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
 राज्य सरकारों की है और अभी तक जो
 हमारे पास फ़ाइलें हैं- 1584 में से केवल
 600 जगहों पर इसकी सिफारिशों का
 फ़ुली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, 32 का
 पार्श्वी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और 952
 केसेज ऐसे हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं
 हुआ है। जब हम न्यू वेज पोलिसी का
 जिक्र कर रहे हैं तो सरकार क्या व्यवस्था
 करेगी? क्या राज्य सरकारों को इस ढंग
 से मजबूर करेगी कि राज्य सरकारें इस
 वज बोर्ड की सिफारिशों का आवश्यक
 रूप से इम्प्लीमेंट करें। मेरा दूसरा प्रश्न
 यह है कि अब सरकार मालिकों द्वारा जो 24
 केसेज सुप्रीम कोर्ट में केसेज दायर किए
 गए हैं, आज भी पेंडिंग हैं। जब मंत्री

जी अब सरकार मालिकों और प्रैस एसोसिएशन
 के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे तो क्या
 उसमें यह मुद्दा भी रहेगा कि या तो वे
 केसेज वापिस ले लें या केन्द्रीय सरकार
 का श्रम विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि
 इस अडचन से उनको मुक्ति मिल जाए।
 और लंबे समय से जो वेज पोलिसी में
 विलंब हो रहा है, वेज बोर्ड की संसुति के
 परिपालन में, उस विलंब से बचा जा सके?

आखिरी मेरा प्रश्न यह है कि जो
 विभिन्न अब सरकार मालिक हैं जब वे उनसे
 वार्ता करेंगे तो पिछले समय जो नोटि-
 फिकेशन हुआ था 31-8-89को, उसके
 बाद दोबारा फिर नोटिफिकेशन हुआ
 22-1-90 को उस समय की महंगाई
 की स्थिति अलग थी, उस समय जो महंगाई
 थी, वस्तुओं के दाम अलग थे, उस हिसाब
 से आज की परिस्थिति बदल गई है।
 उसको मद्देनजर रखते हुए तब जैसे बीच
 में संशोधन व एलाउंस में बढ़ोतरी राजीव
 जी के समय में हुआ था, वर्तमान सरकार
 भी क्या ऐसा संशोधन बढ़ोतरी करेगी
 ताकि पत्रकारों को ज्यादा राशि उपलब्ध
 हो सके और साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी
 के पत्रकारों के बीच में भुगतान में समानता
 रहे और उन पत्रकारों को भी भुगतान
 उसी अनुपात में मिले जो रोजनल प्रैस के
 हैं? क्या ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी,
 यही मेरा प्रश्न है।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बछावत वेज बोर्ड के संबंध में उनकी रिकमेंडेशन कैसे लागू करेंगे, इसकी चर्चा की है। मैं दो प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला यह कि इतने दिनों से 1583 में से अब तक 600 एस्टेब्लिशमेंट्स पूरी तरह से लागू कर पाए हैं और इस समय 936 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनमें इसे लागू नहीं किया है। इतने समय से जाग चली आने के बाद इसीलिए फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि सेकंड वेज बोर्ड क्यों न बना दिया जाए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी कोई समयबद्ध आधार पर जो ये 936 एस्टेब्लिशमेंट्स रह गए हैं उन्हें लागू कराने की दिशा में कोई प्रयास करेंगे और सदन को बतायेंगे कि हम चाहते हैं कि इतने दिनों के अंदर ये लोग इसे लागू कर दें ताकि जो सेकंड वेज बोर्ड की मांग बराबर उठती है उसकी नौबत न आए। अगर पहले ही कर देते तो यह नांगत न आती। तो क्या मंत्री जी कोई राइस बाऊंड प्रोग्राम के आधार पर इसको आगे करने की दिशा में प्रयास करेंगे।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी तो लेबर मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेबर की बात जानते हैं वे जानते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन हमारे संविधान में यह सिद्धांत है। उसके आधार पर जब यू०एन०आई०, पी०टी०आई० जैसी एजेंसियां हैं, वहां पर हिंदी वाले भी उतना ही काम करते हैं जितना अंग्रेजी वाले करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस चीज को स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। क्या दो महीने के अंदर ही इन लोगों से बातचीत करके इसे स्पष्ट करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे?

मेरा चौथा सवाल यह है कि 15 तारीख तक आपने कहा है कि हमने जो एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी वह इन मुद्दों के संबंध में 3 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो वह रिपोर्ट तो आ गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह जो रिपोर्ट आ गई है उसके आधार पर

कितना समय आप लेंगे कि जो अन्य मुद्दियाँ हैं वह उनको कब तक लागू करेंगे?

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is clear that the Minister has understood the problems of the journalists. He has categorised them and analysed them. But it is also clear that there is a lot of discontentment among the journalists for quite a long time. Yesterday you have deprived us of newspapers also. When the Government claim that they are moving in a right direction and talking to everybody, all groups of people and trying to arrive at a solution, then why was there a scope for a strike the day before yesterday? Why couldn't the Government prevent the strike by solving the problems, taking all the people into confidence and settling the issues? Do all these problems which the Minister has mentioned here only relate to the post-strike period or was the Government moving the pre-strike period also? I am afraid the Government is moving only under the pressure of the strike not because of its own free will. I would like to know the actual position from the Minister and I hope the Minister, at least hereafter, as he has stated here and in the Lok Sabha, will attend to this problem and he will not leave any room for discontent and further agitation.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBE (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, from the reply made by the hon. Minister just now I have come to know that the Government of Tamil Nadu has not constituted a Tripartite Committee to implement the award. Is there any proposal with the Government of India to pursue the matter with the State Government and to see that the award is actually implemented?

Secondly, an hon. Member from this side has said that some English newspapers are getting advertisements but no

Hindi newspapers. I would like to say that that is the case not only with Hindi newspapers but with other regional language newspapers too. Therefore, I request the hon. Minister to see that regional language newspapers get an equal treatment at par with English newspapers.

Then, Sir, the important thing is that the capacity of newspaper establishments to implement the award and the revenue received by them through advertisements from the State Government are inseparable, especially as far as small newspaper establishments are concerned. But, in Tamil Nadu, advertisements to newspapers are allotted by the State Government in a partial manner and decision are taken from a political point of view. I do not know what is happening in other States. But as far as my State is concerned, this is the position. If one goes through 'The Hindu', 'Dinamani', 'Dinamalar' and 'Murasoli', four newspapers published in Tamil Nadu, and sees how many advertisements are given to these newspapers, one will find out whether the accusation made by me is actually justified or not. Therefore, I want to know from the hon. Minister whether the Central Government is going to formulate any norm and intimate it to the State Government to see that it is implemented and that advertisements are given to newspapers in an impartial manner. This is one of the important issues. I hope that the hon. Minister will give a positive reply.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, most of the regional newspapers are not implementing the Bachawat Commission report because there is no provision for a deterrent punishment in law. There is only a provision for a fine of Rs. 200 for not implementing the report. May I know from the Minister whether the Government is going to have the law amended in such a way that a provision for the punishment of imprisonment for six months or one year for those who are not implementing the report of the Bachawat Commission report or any other commission report is included? Are they

going to do this or not?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, as far as the first question about the pay-scales is concerned, I do not have the details as to how many slabs are there. I will have to find out the details.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): What about the point of discrimination between Hindi and English newspapers?

SHRI P. A. SANGMA: Even on the point of discrimination between Hindi and English newspapers, I do not have information. It is with the Information and Broadcasting Ministry. They should be having it. I will certainly find out and see what can be done about that.

As far as the DAVP advertisements are concerned... (*Interruption*).

SHRI VISHNU KANT SHASTRI (Uttar Pradesh): Sir, when he finds out, he must place the answers before the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He will have to act on that. What is the use of placing the answer here? He says he will look into it.

SHRI RAMDAS AGARWAL: The Minister gives the same reply, after two and a half months, that the information is not available. Then, who will collect the information? (*Interruptions*).

SHRI MOHAMMED AFZAL alias **MEEM AFZAL**: Sir, he is very much right. Last time also he said it was with the I & B Ministry. This time... (*Interruptions*).

SHRI SURESH PACHOURI: It relates to the I & B Ministry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): This time, he has said that it must be with the I & B Ministry and that he will collect it. Do you want this to be turned into a question-answer session?

SHRI P. A. SANGMA: I must frankly admit that as already discussed, we will confine ourselves to a new Wage Board and consider it. I need not really collect all the small details.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He is ready for a Half-an-Hour Discussion and not for a full fledged discussion. (*Interruptions*)

SHRI P. A. SANGMA: I can assure you that whatever points have been raised here on the floor of the House today, I will go through the entire proceedings and on the 24th and 25th, when I meet the associations and the establishments, I will certainly discuss these points. That much I can do.

Now, as far as Mr. Sukomal Sen's question is concerned, he asked as to how many establishments have not yet implemented the award. Mr. Yadav also asked the same question. Mr. Yadav said that 936 establishments have yet to implement the award. It is not a correct figure. The correct figure is higher than that. The number of establishments who have not yet implemented the award is 952 and not 936. There are 23 or 24 court cases which are pending before the Supreme Court. Now, your suggestion whether they will withdraw these cases or not, cannot be considered. I can certainly talk to them when I meet them on the 25th. But I cannot say with guarantee that I will be able to persuade them. It will certainly be one of the topics on which I will speak to the newspapers industry when I meet them on 25th. Regarding the category of newspapers—small, medium and large—that is a general category. But Bachawat Award has categorised them into ten establishments. Actually it is nine plus one because one establishment was subdivided. I would say the number is ten. These are: where the gross turnover is Rs. 100 crores and above, Rs. 50 crores and above, Rs. 20 crores and above, Rs. 10 crores and above, Rs. 5 crores and above, Rs. 2 crores and above; Rs. 1 crore and above, Rs. 50 lakhs and above; Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs. So these are the categories. Actually, some of these issues have been challenged in the Supreme Court—this particular category

itself and also the concept or the criterion of the paying capacity. The Bachawat Award has said that their paying capacity should be on the basis of their gross turnover. Now, the newspaper establishment has said, "No, our paying capacity should be on the basis of net turnover." These are the basic issues that are lying before the Supreme Court. Therefore, we have taken a position earlier, let these basic issues be settled by the Supreme Court so that it will be much easier for the next Wage Board to decide and come to a conclusion. That is why, on the 30th of April, when I replied to Q. No. 61, I said, "at this stage, we do not intend to go in for a new Wage Board." But today, I am changing my position and that answers your question. I am changing my position of the 30th of April. At that time, I said, "no, we are not going to go in for a new Wage Board." Now, I am saying that I have an open mind. Let me discuss it with the establishments and the newspapers industry. (*Interruptions*) As far as coordination is concerned... (*Interruptions*) As far as coordination is concerned... (*Interruptions*) They have every right to go on strike and express their grievances in the manner they have chosen to do. I don't grudge that. But on the other hand, I don't think that the Government is taking this decision because of the pressure or because of the strike. Not at all. As far as the working journalists are concerned, I have been a very good friend of theirs and they are very good friends of mine. If I may remind the House, when the Bachawat Committee has recommended an interim relief of 7½ per cent, the Government of India at that time has given an increase of 15 per cent in the interim relief. Therefore, the Government has its own mind. It is not because of the strike. Otherwise, if we were to go strictly according to the Bachawat Award, we could have given an interim relief of 7½ per cent. But we doubled it. Therefore, we have our own mind and we are certainly concerned about their welfare. I have got the figures. Tamil Nadu has got 103 establishments of newspapers of which 80 have fully implemented, 2 have partially implemented 21 establishments have yet to implement

it. We will remind the Tamil Nadu Government... *(Interruptions)*... The Tripartite Committee. We will certainly remind them.

As far as the Advertisement Policy is concerned, a point has been made that there is a disparity between the regional newspapers and the national newspapers, the language newspapers and the English newspapers. I will certainly bring this concern of the Members to the notice of the I&B Minister and I hope he will go into all this.

These are the few points which have been made.

(Interruptions)

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: What about the punishment?

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Your question is answered.

SHRI P. A. SANGMA: I think one small point is left.

As far as the Advertisement Policy of the State Government is concerned, we have nothing to say. I mean we can't comment on that. I am taking the responsibility of passing on your suggestion of DAVP advertisements. The Central Government formulates the Advertisement Policy with the I&B Ministry. Certainly, if there is any disparity between the regional language newspapers and the English newspapers, we will certainly look into that... *(Interruptions)*... The State Government has got its own policy. I don't think... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He has already said that. I remember.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: What about the prosecution and punishment?

(Interruptions)

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:... The Central Ministries are also giving advertisements... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He has replied *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I want to ask only one question. Regarding the discrimination practised by the Central Government, I want to know whether the Government of India is going to create some norms to persuade State Governments to see that such type of... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He has answered that question.

SHRI P. A. SANGMA: I have answered.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मेरा बिलकुल पाइन्टड निश्चय है। 1989 को एक आदेश हुआ और उसमें बढ़ोतरी व संशोधन करके फिर 22-1-90 को एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसके आधार पर हाउस रेंट एलांस और सिटी एम्प्लोयेटरी एलांस जो है वह बढ़ाकर देने की बात राजीव के दौर में हुई थी। क्या आज को महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इन एलाउन्सेज को बढ़ाने के बारे में माननीय मंत्री जी भी विचार करेंगे ?

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He has already answered it. You are not listening to him... *(Interruptions)*... No, no; he has answered... *(Interruptions)*... I am not permitting a question-answer session... *(Interruptions)*... No, I am not permitting.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, it is a very important issue; that is why I am asking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Why do you ask if you don't want to listen to me?... *(Interruptions)*... It applies to Mr. Agarwal also. If you want my permission, take my permission. What is this, simply standing and putting questions? What is the use of somebody sitting in the Chair?

SHRI RAMDAS AGARWAL: One minute only, Sir.

SHRI P. A. SANGMA: As far as Mr. Pachouri's point is concerned... (*Interruptions*)...

SHRI RAMDAS AGARWAL: Only one minute. I will not take more than half a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No. Mr. Minister, please react.

SHRI P. A. SANGMA: As far as Mr. Pachouri's point is concerned, about the price-rise-DA. linkage and all, they have

a D.A. which is linked with the consumer price index.

As far as punishment is concerned, I do agree that the penalty which is provided in sections 17 and 18 of the Act is very, very minor. I have noted the suggestion and it will be considered.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty-nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 7th August, 1992.